न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/47

मिसल नम्बर– 144 / 2021

1.मोहम्मद हुसैन आयु 66 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अब्दुल रहमान
2.श्रीमती मोबिना आयु 63 वर्ष पत्नी मोहम्मद हुसैन निवासीगण पुलिस चौकी के पास बजाज खाना कोटा थाना रामपुरा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.निसार मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हुसैन
2.रूखसाना पुत्र निसार मोहम्मद निवासीगण पुलिस चौकी के पास बजाज खाना कोटा थाना रामपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री नंद सिंह राजावत प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री इन्साफ अली अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कोटा शहर के वृद्ध सीनियर सिटीजन व शान्ति प्रिय व्यक्ति है प्रार्थी की उम्र 66 वर्ष व प्रार्थीया की उम्र 63 वर्ष है। प्रार्थीगण बीमार व्यक्ति है। प्रार्थीगण के दो पुत्र व पाँच लड़किया है जिसमें से चार लड़कियो की शादी कर दी गई है और हसीना जोकि प्रार्थीगण की छोटी व कुंवारी लडकी है । जो प्रार्थीगण के साथ रहती है प्रार्थीगण का छोटा लड़का जफर मोहम्मद एक मानसिक रोगी है जिसके पागल पन के दौरे पडतें है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पुत्रों व पुत्रियों के प्रति अपने समरत पैत्रिक दायित्व को सदैव पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया जाता रहा है। प्रार्थीगण का पैत्रिक मकान बजाज खाना कोटा में स्थित है । जिसमे प्रार्थीगण ने प्रथम मंजिल पर प्रतिपक्षीगण को मकान बना कर रहने के लिये दिया और प्रार्थीगण ग्राउन्ड फ्लोर पर अपने छोटे बेटे बहु व अपनी बेटी के साथ रहते है। लेकिन प्रतिपक्षी 1 व 2 पुरे मकान पर कब्जा करने की गरज से प्रार्थीगण व उसके बेटे बहु व बेटी के साथ आये दिन लडाई झगडा और मारपीट करते है। प्रार्थीगण की बेटिया प्रार्थीगण से मिलने आती है तो प्रतिपक्षीगण उनके साथ मारपीट व गाली गलौज करतें है और उन्हें प्रार्थीगण के पास आने पर मना करते है। प्रार्थीगण पुलिस चौकी व रामपुरा थाने में रिपोर्ट करने जाते है तो पुलिस पारिवारिक झगडा बता कर कोई कार्यवाही नही करती है। उल्टा प्रार्थीगण व उसके परिवार के ऊपर कार्यवाही करने की धमकी देती है। प्रतिपक्षीगण का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण अमर्यादित, शोभनीय एवं क्रूरता पूर्ण हो गया है और प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के कथनो की पालना करने से इंकार किया जाने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के प्रति निभाये जाने वाली जिम्मेदारी से स्वयं को बचाना चाहतें है और अवैध रूप से प्रार्थीगण से प्राप्त होने वाली सुविधाओ को अनावश्यक दबाव बना कर प्राप्त करते रहने को तत्पर है व प्रार्थी कम 1 को नौकरी के बाद प्राप्त रकम हडप ली है और अनावश्यक रकम की मांग कर प्रताड़ित करते है। प्रार्थीगण वृद्ध व वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होने से प्रार्थीगण के प्रति विधिक दायित्व का निर्वाहन करने के लिये विधिक रप से प्रतिपक्षीगण आबध्य है किन्तु प्रतिपक्षीगण आये दिन अशान्ति का वातावरण पैदा करते है और प्रार्थीगण के पुत्र जफर मोहम्मद व उसकी पत्नी की सेवा सुश्रुषा करने कारण प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की बेटे, बहू व बेटियों से वेमनस्यता रखते है और आये दिन अशान्ति का माहौल बनाते है और सभी के साथ मारपीट व गाली गलौच करते है जिसके कारण प्रार्थी के छोटे बेटे की मानसिक स्थिति बिगड़ गयी है। प्रार्थीगण अपने मकान मे अनावश्यक अशान्ति नही चाहती है इसी कारण प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को अपने उक्त मकान को खाली करके जाने को कहा लेकिन प्रतिपक्षीगण ने मकान खाली करने से इंकार कर दिया और पुरे मकान पर कब्जा करने की धमकी दी गई। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण का न तो भरण पोषण करते है न ही खाना पीना देते है और न ही हाथ खर्चा देते है और मकान में किरायेदार भी नही रखने देते है और प्रथम मंजिल पर प्रार्थीगण को आने नही देते है। इस कारण प्रतिपक्षीगण को मकान से बेदखल करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण के खाने पीने, हाथ खर्चा व दवाई आदि के लिये 10 हजार रूपये प्रतिमाह देने को कहा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण के साथ मारपीट की और थाने मे शिकायत करके बन्द कराने की कोशिश की गई। और भरण पोषण के लिये पैसे देने से इंकार कर दिया है। प्रतिपक्षीगण से खाने पीने, हाथ खर्चा व दवाई आदि के लिये रकम नही दे रहें है बल्कि मारपीट करते है और झगडा करते है। शान्ति पूर्वक निवास नही करने देते है। इस कारण प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण से बजाजखाने वाला मकान खाली कराने व भरण पोषण हेतु 10 हजार रूपये प्रतिमाह से रकम प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिपक्षीगण का दायित्व है कि वे प्रार्थीगण का भरण पोषण करें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को तलब किया जाकर प्रार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज व अन्य खर्च के लिये दस हजार रूपये मासिक के हिसाब से प्रतिपक्षीगण से दिलाये जावे, प्रार्थीगण व उसके परिवार के साथ मारपीट नही करें और प्रतिपक्षीगण को मकान खाली करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षीगण शांतिपूर्ण तरीके से अपने निवास स्थान पर रह रहे है तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की सदैव अच्छी तरह से सेवा सुषमा की है। प्रतिपक्षीगण सन् 2001 से 2017 तक किराये के मकान में निवास कर रहे थे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षीगण से कहा गया कि यदि तुम दूसरी मंजिल पर तुम्हारे रहने के लिये मकान बनाना चाहते हो तो बना लो, मेरे पास तो पैसे नही है, इस पर प्रतिपक्षीगण द्वारा सन् 2017 में चार लाख रूपये कर्जा लेकर उक्त मकान के उपरी हिस्से पर निर्माण करवाया तथा तभी से प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण का सम्पूर्ण दवाईयो का खर्चा, खाना–पीना प्रतिपक्षीगण द्वारा ही किया जाता रहा है तथा प्रार्थीगण का छोटा पुत्र जफर मोहम्मद भी बक्से बनाने का कार्य करता है जिससे उसको भी 20–25 हजार रूपये

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिमाह आय होती है। प्रार्थीगण अपना जीवन यापन करने मे पूरी तरह से सक्षम है। तथा प्रार्थी कम 1 ने 40 सालो तक पोस्ट ऑफिस में नौकरी की है तथा प्रार्थी कम 1 सन् 2019 में डाक विभाग से सेवा निवृत हुए है जिसमें प्रार्थी कम 1 को पेंशन के रूप में पांच लाख रूपये मिले है तथा प्रार्थीगण घण्टाघर में पिछले 40 सालो से कच्छे, बनियानो की दुकान लगाते है जिससे प्रार्थीगण को 1500/–रूपये प्रतिदिन आय होती है तथा प्रार्थीगण जिस मकान में रहते है उसमें एक कमरा भण्डार के रूप में 2500/–रूपये प्रतिमाह किराये से दिया हुआ है जिसका किराया भी प्रार्थीगण ही वसूल करते है। इस प्रकार प्रार्थीगण की प्रतिमाह सम्पूर्ण आय 30–40 हजार रूपये है जिन्हे अपनी खाने–पीने, हाथ, खर्चा व दवाई के लिये पैसे मांगने की कोई आवश्यकता नही है। प्रतिपक्षीगण द्वारा मकान बनाने की एवज में जो चार लाख रूपये का कर्जा लिया था उसे भी प्रतिपक्षीगण द्वारा चुकाना पड रहा है और अपने परिवार का भरण–पोषण भी करना पड रहा है तथा प्रार्थीगण के मन में बद नियती आ जाने के कारण व प्रतिपक्षीगण द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया था उस पर अपनी पुत्री शाहिना को काबिज करने की गरज से एवं उक्त प्रकरण अपनी बेटी शाहिना जो कि ससुराल से लड–झगड कर प्रार्थीगण के पास रह रही के बहकावे में आकर प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को बहुत ही मान सम्मान से रखा गया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण स्वयं अपना जीवन यापन एवं भरण–पोषण करने में सक्षम है तथा प्रतिपक्षी कम 1 मजदूरी का कार्य करता है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान पुलिस चौकी के पास बजाज खाना कोटा थाना रामपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा करें, प्रथम मंजिल पर आने जाने से नही रोकें एवं प्रार्थीगण को अपशब्द नही कहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★